रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032022-233796
CG-DL-E-02032022-233796

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 28, 2022/फाल्गुन 9, 1943
No. 163] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 28, 2022/PHALGUNA 9, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 166(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 56 की उप धारा (6) और (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल, परिवहन और टोल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है।

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ...संशोधन) नियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसमें इसके बाद उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) में नियम 62 के उप नियम (5) में, पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते, इसके अलावा मोटर वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता (दिनांक-माह-वर्ष प्रारूप में) और पंजीकरण चिह्न को नीचे निर्दिष्ट तरीके से वाहनों पर प्रदर्शित किया जाएगा-

भारी माल / यात्री वाहनों, मध्यम माल / यात्री वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के मामले में, यह विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर नीले रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में प्रदर्शित किया जाएगा। स्टिकर का चित्रण प्रदर्शन-I में निर्दिष्टानुसार होगा।

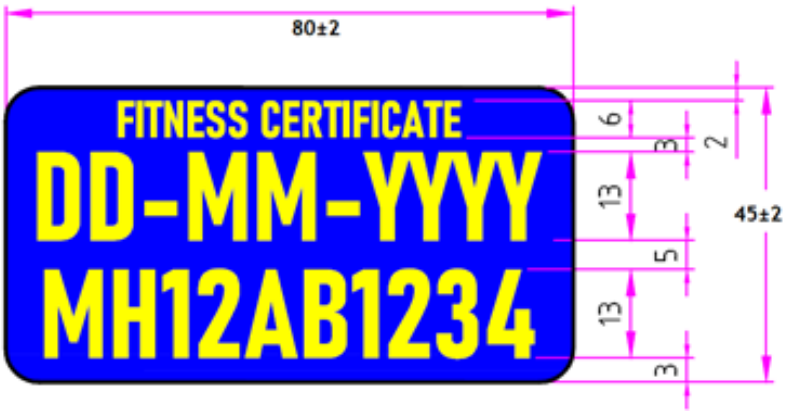
प्रदर्शन - I



नोट – परिमाप मिमी में, वर्णों की ऊंचाई के लिए लागू टॉलरेंस +/- 10% है और लाइनों के बीच खाली स्थान है। ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और क्वाड्रिसाइकिल के मामले में, इसे विंड स्क्रीन,यदि फिट किया गया है, के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर नीले रंग की पृष्ठभूमि पर टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में प्रदर्शित किया जाएगा। यदि ऐसे वाहनों में विंड स्क्रीन नहीं लगाई जाती है, तो इसे वाहन के सुस्पष्ट भाग पर प्रदर्शित किया जाएगा। स्टिकर का चित्रण प्रदर्शन-II में निर्दिष्टानुसार होगा।

मोटर साइकिल के मामले में, इसे वाहन के सुस्पष्ट भाग पर नीले रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में प्रदर्शित किया जाएगा। स्टिकर का चित्रण प्रदर्शन- II में निर्दिष्टानुसार होगा।

प्रदर्शन – II



नोट - परिमाप मिमी में, वर्णों की ऊंचाई के लिए लागू टॉलरेंस +/- 10% है और लाइनों के बीच खाली स्थान है।

[फा. सं. आरटी-23013/2/2021-टी]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मुख्य नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि., दिनांक..... के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा. का. नि._____ (अ) दिनांक _____ के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2022

G.S.R. 166(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub section (6) and (7) of section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, Transport & Toll), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called as Central Motor Vehicles (…. Amendment) Rules, 2022.

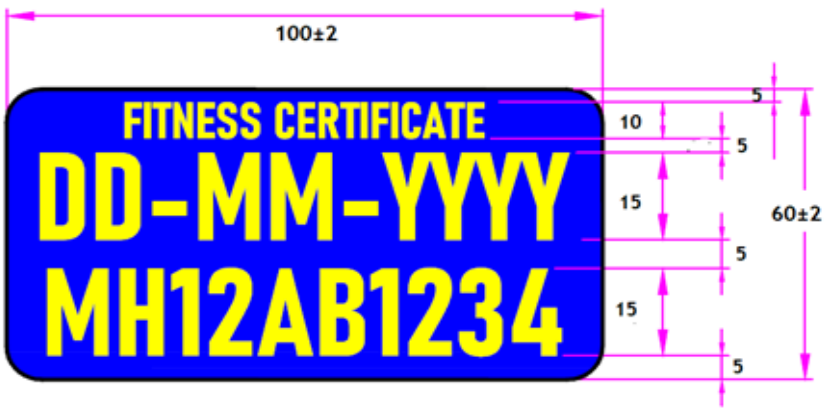
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in sub rule (5) of Rule 62, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that validity of fitness certificate (in format DD-MM-YYYY) and registration mark of the motor vehicle shall be exhibited on the vehicles in the manner specified below-

In case of heavy goods / passenger vehicles, medium goods/ passenger vehicles, and light motor vehicles, it shall be exhibited on the upper edge of the left side of the wind screen in yellow colour on blue background in Type Arial Bold Script. Depiction of the sticker shall be as specified in Exhibit-I.

Exhibit - I

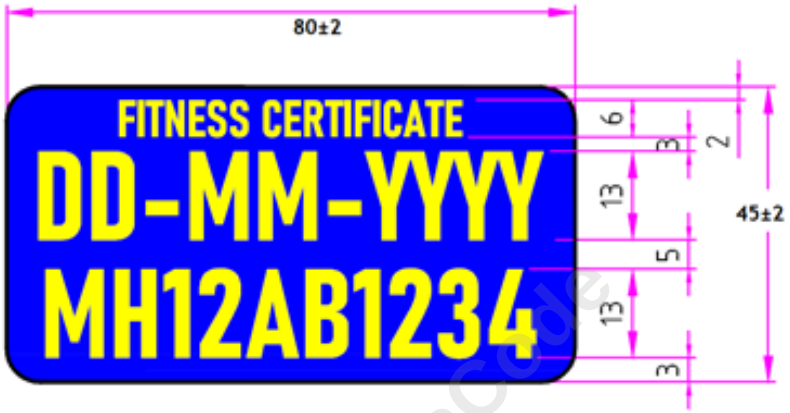


Note - Dimensions in mm, applicable tolerance is +/- 10% for height of characters, and the space between the lines.

In case of auto-rickshaw, e-rickshaw, e-cart, and quadricycle, it shall be exhibited on the upper edge of the left side of the wind screen, if fitted, in yellow colour on blue background in Type Arial Bold Script. If wind screen is not fitted in such vehicles, it shall be exhibited on the conspicuous part of the vehicle. Depiction of the sticker shall be as specified in Exhibit-II.

In case of Motor cycle, it shall be exhibited on the conspicuous part of the vehicle, in yellow colour on blue background in Type Arial Bold Script.Depiction of the sticker shall be as specified in Exhibit-II.

Exhibit - II



Note - Dimension in mm, applicable tolerance is +/- 10% for height of characters, and the space between the lines.

[F. No. RT-23013/2/2021-T]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R……, dated the …… and last amended vide notification number …. ….(E), dated the …...

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.03.02 16:46:43 +05'30'